# दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

*निर्णय घोषित: 22 दिसंबर, 2023*

**ले.पे.अ. 721/2018 और सि.वि. अपील 53526/2018**

**भारतीय दूरसंचार नियामकप्राधिकरण** .... अपीलार्थी

बनाम

**कबीर शंकर बोस और अन्य** ....प्रत्यर्थीगण

**इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:**

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी के लिए | : | श्री अमन लेखी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ<br>श्री अंकुर सूद, श्री अनिकेत और सुश्री<br>रोमिला मंडल, अधिवक्तागण |
| प्रत्यर्थी के लिए | : | श्री आदित्य सिंह देशवाल और<br>श्री अभिजीत उपाध्याय, अधिवक्तागण |

**कोरम**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बखरु**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन**

**निर्णय**

**अमित महाजन, न्या.**

1. वर्तमान अपील, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (इसके बाद **'ट्राई'**) द्वारा दायर की गई है, जो इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रि.या.(सि.) 12388/2018 में शीर्षक भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बनाम

कबीर शंकर बोस (इसके बाद '**आक्षेपित निर्णय**') दिनांक 20.11.2018 को पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित है।

2. उपरोक्त रिट याचिका केंद्रीय सूचना आयोग (**सी.आई.सी.**) द्वारा पारित दिनांक 12.09.2018, अपने आदेश द्वारा ट्राई को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (**आरटीआई अधिनियम**) के तहत प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा मांगी गई जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया था।

**संक्षिप्त तथ्य**

3. प्रत्यर्थी सं.1 आर.टी.आई. अधिनियम के तहत निम्नलिखित जानकारी के लिए आवेदन दायर किया गया:

> *"1. क्या मेरा वोडाफोन सं. 9999822445 को किसी भी एजेंसी द्वारा इन्टरसेप्शन या ट्रैकिंग या टैपिंग के तहत रखा गया है*
>
> *2. किसके निर्देश पर और किस एजेंसी द्वारा मेरे फोन को इन्टरसेप्शन या ट्रैकिंग या टैपिंग के तहत रखा गया है*
>
> *3. वे सभी तिथियाँ जिन पर मेरे फोन 9999822445 को इन्टरसेप्शन या ट्रैकिंग या टैपिंग के तहत रखा गया था "*

3. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (**सी.पी.आई.ओ.**), ट्राई ने प्रत्यर्थी सं.1 को सूचित किया कि उसके द्वारा मांगी गई जानकारी ट्राई के पास उपलब्ध नहीं है। यह आगे कहा गया कि आर.टी.आई. अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी (**पी.आई.ओ.**) को अन्य संस्थाओं से जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, और चूंकि जानकारी ट्राई के पास नहीं थी, इसलिए वह इसे प्रदान करने की स्थिति में नहीं था।

4. प्रत्यर्थी सं.1 ने सी.पी.आई.ओ. के फैसले के खिलाफ अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की। अपील प्राधिकारी ने सी.पी.आई.ओ. द्वारा अपने दिनांक 21.07.2017 के आदेश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा।

5. सीआईसी के समक्ष प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा दायर की गई दूसरी अपील को 12.09.2018 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसके तहत ट्राई को संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता से जानकारी एकत्र करने और उसे प्रत्यर्थी सं.1 को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

6. ट्राई द्वारा दायर रिट याचिका, सीआईसी द्वारा पारित दिनांक 12.09.2018 के आदेश को आक्षेपित करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके कारण लेटर्स पेटेंट के तहत वर्तमान अपील दायर की गई है।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने टिप्पण किया कि प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा मांगी गई जानकारी निस्संदेह सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध है, जो आर.टी.आई. अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी नहीं है, हालाँकि, चूंकि ट्राई दूरसंचार सेवाओं को विनियमित कर रहा है, इसलिए उसे सेवा प्रदाता से जानकारी एकत्र करना और उसे प्रत्यर्थी सं.1 को प्रदान करना आवश्यक है।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय द्वारा ***पूर्णा प्रज्ञा पब्लिक स्कूल बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य:*** 2009:डीएचसी:4086 के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि किसी लोक प्राधिकारी को किसी अन्य कानून के तहत किसी निजी निकाय से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, तो यह आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (च) में परिभाषित "जानकारी" है। यह भी

अभिनिर्धारित किया गया कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (ञ) में प्रयुक्त शब्द "लोक प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्धारित या उसके नियंत्रण में" में ऐसी जानकारी शामिल है, उसे लोक प्राधिकारी निजी निकाय से किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त करने का हकदार है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि निजी निकाय को लोक प्राधिकारी होने की आवश्यकता नहीं है, और यह कि निजी निकाय से जानकारी प्राप्त करना और आवेदक को प्रस्तुत करना लोक प्राधिकारी का दायित्व है।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (ट्राई अधिनियम) की धारा 12 पर भी भरोसा किया और अभिनिर्धारित किया कि ट्राई के पास किसी भी जानकारी को मांगने, जांच करने आदि की शक्ति है, जब भी प्राधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया कि ट्राई के पास ट्राई अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में वोडाफोन से जानकारी मांगने का अधिकार है।

**<u>प्रस्तुतियाँ</u>**

10. ट्राई के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमन लेखी ने कहा कि अपीलकर्ता के पास न तो मांगी गई जानकारी है और न ही उस पर उसका कोई अधिकार है।

11. उन्होंने आगे कहा कि आर.टी.आई. अधिनियम के तहत किसी भी आवेदन के लिए लोक प्राधिकारी द्वारा जानकारी पर अधिक्षेत्र एक पूर्व शर्त है।

12. उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ट्राई अधिनियम की धारा 12 पर भरोसा गलत है। उन्होंने कहा कि ट्राई अधिनियम की धारा 12 और 13 के संदर्भ में, प्राधिकारी केवल ऐसी जानकारी की मांग कर सकता है जो ट्राई अधिनियम की धारा 11 के तहत उनके कार्यों से संबंधित है।

13. उन्होंने तर्क दिया कि निगरानी के संबंध में जानकारी ट्राई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई के कार्य ट्राई अधिनियम की धारा 11 में उद्धृत कार्यों तक ही सीमित हैं और फोन की निगरानी के संबंध में जानकारी को स्पष्ट रूप से इसके दायरे से बाहर रखा गया है। फोन पर निगरानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के निर्देशों के तहत की जाती है, जैसा भी मामला हो, जांच एजेंसियों के अनुरोध के आधार पर, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के तहत बनाए गए विभिन्न दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है।

14. उन्होंने आगे तर्क दिया कि भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के संदर्भ में, इंटरसेप्शन के बारे में जानकारी केवल नामित अधिकारी के साथ साझा की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि निगरानी के लिए कार्रवाई जांच एजेंसियों द्वारा किए गए अनुरोध और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय या राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों पर आधारित है।

15. श्री अमन लेखी ने आगे कहा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) के संदर्भ में टेलीफोन का कोई भी इंटरसेप्शन, अन्यथा भी, आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 (क) के तहत छूट दी जाएगी। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 (क) किसी भी जानकारी को आर.टी.आई. अधिनियम के दायरे से छूट देती है, जिसका प्रकटीकरण देश की सुरक्षा, अखंडता और रणनीतिक हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

16. उन्होंने आगे आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 (ज) पर भरोसा किया, जो ऐसी किसी भी जानकारी से छूट देती है जो किसी भी जांच की प्रक्रिया में बाधा डालती है।

17. उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा मांगी गई जानकारी पूरी तरह से छूट प्राप्त श्रेणी में आता है और आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 6 के दायरे से बाहर है।

18. उन्होंने ***केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत काउच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल*** : **(2020) 5 एससीसी 481**, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है अपने इस तर्क का समर्थन करते हुए कि आर.टी.आई. अधिनियम के तहत किसी भी आवेदन के लिए लोक प्राधिकारी द्वारा जानकारी पर अधिक्षेत्र का अस्तित्व एक पूर्व शर्त है।

19. उन्होंने ***केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य*** : **(2011) 8 एससीसी 497,** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भी भरोसा किया यह तर्क दिया की कि आर.टी.आई. अधिनियम का दुरुपयोग या कुप्रयोग, राष्ट्रीय विकास और एकता को बाधित करने का या अपने नागरिकों के बीच शांति, सौहाद्र या सद्भाव को नष्ट करने की साधन बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

20. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ***पूर्णा प्रज्ञा पब्लिक स्कूल बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य*** (*पूर्वोक्त*) के मामले में निर्णय पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया भरोसा अनुपयुक्त है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त मामला एक अलग स्थिति से संबंधित है जहां मांगी गई जानकारी, भले ही एक निजी संस्था से संबंधित है, लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध थी। वर्तमान मामले में, मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है, और इस प्रकार ट्राई जानकारी एकत्र करने के लिए बाध्य नहीं है, जो स्पष्ट रूप से ट्राई अधिनियम के तहत उसके दायित्व के दायरे से बाहर है।

21. उन्होंने प्रस्तुत किया कि ***पूर्ण प्रज्ञा पब्लिक स्कूल बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य*** (*पूर्वोक्त*) के मामले में निर्णय अन्यथा भी, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***केंद्रीय लोक***

***सूचना अधिकारी, भारत का उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल*** (*पूर्वोक्त*) और ***केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य*** (*पूर्वोक्त*), में निर्धारित कानून के विपरीत है।

22. प्रत्यर्थी सं.1 के लिए विद्वान अधिवक्ता, दूसरी ओर, प्रस्तुत किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ट्राई अधिनियम की धारा 12 पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए सही भरोसा किया कि ट्राई के पास ट्राई अधिनियम के प्रावधानों के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जानकारी मांगने की शक्ति है। उन्होंने ***पूर्णा प्रज्ञा पब्लिक स्कूल बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य*** (*पूर्वोक्त*) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भी भरोसा किया।

23. उन्होंने प्रस्तुत किया कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (च) विशेष रूप से प्रदान करती है कि किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी, जिसे किसी अन्य कानून के तहत लोक प्राधिकारी द्वारा अभिगम किया जा सकता है, "सूचना" की परिभाषा के अंतर्गत आती है जिस पर अपीलकर्ता को अधिकार है।

24. उन्होंने कहा कि ट्राई अधिनियम की धारा 12 (1) (क) ट्राई को अपने मामलों से संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार देती है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टेलीग्राफ नियमावली, 1951 का नियम 419 (क) किसी भी इंटरसेप्शन के दौरान नियमों का पालन न करने के लिए दूरसंचार प्रदाताओं के लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार, लाइसेंस के नियमों और शर्तों के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जानकारी लेना ट्राई के कार्यों और शक्तियों के भीतर है।

25. उन्होंने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 के विनियम 16 पर भरोसा करते हुए कहा कि ट्राई के पास उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भेजने का अधिकार है। अतः आर.टी.आई. अधिनियम के प्रवर्तन और क्रियान्वयन के लिए ट्राई दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जानकारी ले सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 6 (3) के संदर्भ में, कोई भी लोक प्राधिकारी इस आधार पर आर.टी.आई. के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता है कि मांगी गई जानकारी किसी अन्य लोक प्राधिकारी के पास है। ऐसी परिस्थितियों में, लोक प्राधिकारी आर.टी.आई. के अनुरोध को उपयुक्त लोक प्राधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

26. उन्होंने आगे कहा कि मांगी गई जानकारी प्रत्यर्थी सं.1 के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, और आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 7 (1) के संदर्भ में, इसे 48 घंटों के भीतर प्रदान किया जाना है।

**<u>विश्लेषण</u>**

27. आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (च) और खंड 2 (ञ) "सूचना" और "सूचना के अधिकार" के अर्थ को परिभाषित करती है। वही नीचे दिए गए हैं:

> ***"2. परिभाषाएँ।—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -***
>
> *XXXX XXXX XXXX*
>
> *(च) "सूचना" का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है, जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस प्रकाशनी, परिपत्र, आदेश, कार्यपंजी, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है जिसे उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी लोक प्राधिकारी द्वारा अभिगम किया जा सकता है;*

*XXXX XXXX XXXX "*

*धारा 2 (ञ)*

***"2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -***

*XXXX XXXX XXXX*

*(ञ) "सूचना के अधिकार" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में है और और इसमें निम्न का अधिकार शामिल है–*

*(i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;*

*(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ लेना;*

*(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।*

*(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में या मुद्रित अभिलेख द्वारा जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर में या किसी अन्य उपकरण में संग्रहीत की गई है;*

*XXXX XXXX XXXX "*

28. इस प्रकार, आर.टी.आई. अधिनियम के तहत "सूचना" की परिभाषा में स्पष्ट रूप से किसी भी निजी निकाय से संबंधित कोई भी जानकारी शामिल है, जिसका अभिगम किसी लोक प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य कानून के तहत किया जा सकता है। जानकारी वर्तमान में लोक प्राधिकारी द्वारा सीधे उपलब्ध या सीधे नहीं रखी जा सकती है, लेकिन किसी अन्य कानून के तहत लोक प्राधिकारी द्वारा किसी निजी निकाय से अभिगम की जा सकती है। साथ ही, किसी भी अन्य कानून द्वारा निर्धारित प्रतिबंध लागू होंगे और किसी निजी निकाय से किसी भी जानकारी को अभिगम करने से पहले उन्हें पूरा करना होगा। निजी निकाय से

प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी से संबंधित मुद्दा इस न्यायालय के साथ-साथ कई मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष बहस का विषय रहा है।

29. माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने ***केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत का उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल*** (*पूर्वोक्त*) के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> *20. "सूचना" "परिभाषा खंड के अनुसार व्यापक और व्यापक है, जैसा कि इसका अर्थ "किसी भी रूप में सामग्री" है जिसमें विस्तार से व्याख्यायित शब्द सहित रिकॉर्ड [शब्द को पुनः आरटीआई अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) के माध्यम से व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है], दस्तावेज, ईमेल, मेमो, सलाह, कार्यपंजी, संबिदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी गई सामग्री आदि शामिल हैं। परिभाषा खंड के अंतिम भाग में कहा गया है कि "सूचना" शब्द में "किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल होगी जो उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लोक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है" जिसे "जानकारी" के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है या लोक प्राधिकारी के पास नहीं है, लेकिन जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी निजी निकाय से प्राप्त किया जा सकता है। खंड में शब्द — "निजी निकाय" का उपयोग अंतर बताने के लिए किया गया है और यह शब्द - "लोक प्राधिकारी" के विपरीत है, जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (ज) में परिभाषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी अन्य कानून द्वारा निर्धारित पूर्व शर्त और प्रतिबंधों की प्रकृति की कोई भी आवश्यकता लागू होती रहेगी और किसी निजी निकाय द्वारा जानकारी प्राप्त करने और प्रस्तुत करने के लिए कहने से पहले उसे पूरा किया जाना चाहिए।*
>
> *21. खंड (च) से धारा 2 में "सूचना" की परिभाषा से जो स्पष्ट और निहित है, वह "सूचना के अधिकार" की परिभाषा से पुष्टि प्राप्त करता है कि जानकारी लोक प्राधिकारी द्वारा सुलभ होनी चाहिए और "किसी भी लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में होनी चाहिए।" "रखना" शब्द, जैसा कि व्हार्टन के लॉ लेक्सिकन, 15वें संस्करण में परिभाषित किया गया है, का अर्थ है रखना, बनाए रखना, अधिकार या अधिकार बनाए रखना।*

*अपने स्वाभाविक अर्थ के अनुसार "किसी भी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में" शब्दों का अर्थ सूचना तक अधिगम करने के लिए लोक प्राधिकारी का अधिकार और शक्ति है। यह सूचना पर अधिक्षेत्र या किसी भी सामग्री, दस्तावेज आदि पर के अधिकार को संदर्भित करता है। "किसी भी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में" शब्दों में निजी निकाय से संबंधित जानकारी उनके दायरे और दायरे में शामिल होगी, जिसे किसी लोक प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य कानून के तहत पहले से लागू शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन प्राप्त किया जा सकता है।*

*22. जब जानकारी किसी लोक प्राधिकारी द्वारा सुलभ होती है, अर्थात जो उसके पास है या उसके नियंत्रण में है, तो सूचना आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सूचना चाहने वाले को दी जानी चाहिए, भले ही पहले से ही लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत शर्तें या निषेध हों, जो जनता द्वारा जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित या निषेध करता है। धारा 22 के सर्वोपरि खंड को ध्यान में रखते हुए [आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है: "22. अधिनियम का अधिभावी प्रभाव होगा। —इस अधिनियम के प्रावधान सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और उस समय लागू किसी अन्य कानून या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी साधन में कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।] आर.टी.आई. अधिनियम का कोई भी निषेध या शर्त जो किसी नागरिक को जानकारी तक अभिगम से रोकती है, लागू नहीं होगी। नागरिकों के अधिकार पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि, जब किसी लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना तक अभिगम प्रतिबंधित है या शर्तों के अधीन सुलभ है, तो निषेध को समाप्त नहीं किया जाता है और पूर्व शर्तों को हटाया नहीं जाता है। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 22 के साथ सहपठित धारा 2 (च) किसी अन्य अधिनियम में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं लाती है, जो निजी निकायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त को रोकती है या वर्जित करती है या लागू करती है। बल्कि, धारा 2 से खंड (च) उक्त स्थिति को बरकरार रखता है और स्वीकार करता है जब यह — "जिस तक अभिगम किया जा सकता है", अभिव्यक्ति का उपयोग करता है यानी, लोक प्राधिकारी को उस स्थिति में होना चाहिए और उक्त जानकारी मांगने का हकदार होना चाहिए। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 22, एक अभिभावी प्रावधान, व्याख्या के खिलाफ नहीं है क्योंकि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (च) और अन्य वैधानिक अधिनियमों/कानून के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास या टकराव नहीं है।*

*आर.टी.आई. अधिनियम की खंड 22 एक ऐसी चाबी है जो किसी नागरिक के जानकारी तक अभिगम के अधिकार पर किसी भी पूर्व अधिनियम में प्रतिबंधों/सीमाओं को खोलती है जो एक लोक प्राधिकारी द्वारा सुलभ है। यह लोक प्राधिकारी के पास एक चाबी नहीं है जिसका उपयोग लोक प्राधिकारी के जानकारी तक पहुँचने के अधिकार पर प्रतिबंधों/सीमाओं को पूर्ववत करने और हटाने के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक निजी निकाय उसी सुरक्षा का हकदार होगा जो इस देश के कानूनों के तहत उसके लिए उपलब्ध है।*

*23. दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ भारत के उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल [भारत का उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, 2010 एससीसी ऑनलाइन दिल 111 : आई.एल.आर. (2010) 2 दिल 1] मामले में दिनांक 12-1-2010 के अपने फैसले में "रखना" शब्द की व्याख्या पर सही कहा था, जो फिलिप कोपेल की कृति इन्फर्मेशन राइटस (दूसरा संस्करण, थॉमसन, स्वीट एंड मैक्सवेल 2007) [फिलिप कोपेल, इन्फर्मेशन राइटस (चौथा संस्करण, हार्ट प्रकाशन 2014) पृ. 361-62, को भी देखें] को संदर्भित करता है, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2000 (यूनाइटेड किंगडम) के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए जिसमें यह देखा गया है: (सुभाष चंद्र मामला [भारत का उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, 2010 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल 111 : आईएलआर (2010) 2 दिल 1], एससीसी ऑनलाइन दिल पैरा 58)*

*"जब जानकारी किसी लोक प्राधिकारी द्वारा "अभिनिर्धारित" की जाती है।—सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2000 के प्रयोजनों के लिए, जानकारी लोक प्राधिकारी द्वारा "धारित" की जाती है यदि यह किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से नहीं बल्कि प्राधिकारी द्वारा धारित की जाती है, या यदि यह प्राधिकारी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जाती है। अधिनियम ने प्रकटीकरण के कानून से जुड़ी तकनीकीताओं का वर्जन किया है, जिसने पारंपरिक रूप से किसी व्यक्ति की शक्ति, अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज़ के बीच अंतर किया है। धारा 3 (2) (नीचे का पैरा 9-009 देखें), के प्रभावों को एक तरफ रखते हुए "धारित" शब्द लोक प्राधिकारी और गिरवीरूप उपनिधान या जमानत के समान जानकारी के बीच संबंध का सुझाव देता है।*

जानकारी—

*— अर्थात्, अनुरोध या व्यवस्था के बिना, किसी लोक प्राधिकारी को भेजा या जमा किया जाता है जो खुद को इसे प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं है और जो बाद में इसका उपयोग नहीं करता है;*

*— जो गलती से किसी लोक प्राधिकारी के पास रह गया है;*

*— या जो सिर्फ किसी लोक प्राधिकारी से होकर गुजरता है; या*

*— जो किसी लोक प्राधिकारी के कर्मचारी या अधिकारी का है, लेकिन जिसे उस कर्मचारी या अधिकारी द्वारा लोक प्राधिकारी के परिसर में लाया जाता है,*

*— यह सुझाव दिया जाता है कि लोक प्राधिकारी द्वारा उस जानकारी के लिए जिम्मेदारी या अधिक्षेत्र की अपेक्षित धारणा का अभाव होगा जो यह कहने से पहले आवश्यक है कि लोक प्राधिकारी को जानकारी "रखने" के लिए कहा जा सकता है।"*

24. *इसके बाद, पूर्ण पीठ ने कहा था : (सुभाष चंद्र अग्रवाल मामला [भारत का उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, 2010 एससीसी ऑनलाइन दिल 111 : आईएलआर (2010) 2 दिल 1], एससीसी ऑनलाइन दिल पैरा 59)*

*"59. इसलिए, कोपेल के अनुसार "रखना" शब्द एक लोक प्राधिकारी और गिरवीरूप उपनिधान या जमानत के समान जानकारी के बीच संबंध का सुझाव देता है। उपनिधान कानून में, इस तरह से जमा की गई संपत्ति के नियंत्रण की थोड़ी सी धारणा प्राप्तकर्ता को एक निक्षेपागार बना देगी (न्यूमैन बनाम बॉर्न और हॉलिंग्सवर्थ [न्यूमैन बनाम बॉर्न और हॉलिंग्सवर्थ, (1915) 31 टीएलआर 209 देखें)। इसलिए, जहां किसी लोक प्राधिकारी द्वारा जानकारी बनाई गई है, मांगी गई है, उपयोग की गई है या जानबूझकर रखी गई है, वह जानकारी अधिनियम के अर्थ के भीतर रखी जाएगी। तथापि, यदि सूचना लोक प्राधिकारी को भेजी जाती है या उसके पास जमा की जाती है जो इसे प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है और जो बाद में इसका उपयोग नहीं करता है या जहां यह गलती से किसी लोक प्राधिकारी के पास रह जाती है या केवल लोक प्राधिकारी से होकर गुजरती है या जहां यह किसी लोक प्राधिकारी के कर्मचारी या अधिकारी का है, लेकिन जिसे उस कर्मचारी या अधिकारी द्वारा लोक प्राधिकारी के परिसरों में लाया जाता है, तो यह लोक*

*प्राधिकारी द्वारा लोक प्राधिकारी के लिए जिम्मेदार लोक प्राधिकारी द्वारा आवश्यक धारणा के अभाव के कारण लोक प्राधिकारी द्वारा रखी गई जानकारी नहीं होगी।"*

30. इससे पहले, ***पूर्ण प्रज्ञा पब्लिक स्कूल बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य*** (*पूर्वोक्त*), के मामले में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ***ने*** निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

*"13. लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (च) के अंतर्गत आती है। धारा 2 (च) का अंतिम भाग ऐसी जानकारी को शामिल करने के लिए 'सूचना' शब्द के दायरे को व्यापक बनाता है जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा निजी प्राधिकारी से अभिगम किया जा सकता है। किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी जानकारी किसी अन्य कानून के तहत लोक प्राधिकारी के लिए सुलभ होनी चाहिए। इसलिए, आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (च) में प्रासंगिक विधान या कानून की जांच की आवश्यकता है, जैसा कि व्यापक रूप से समझा जाता है, जिसके तहत लोक प्राधिकारी निजी निकाय से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि विधान या कानून अनुमति देता है और लोक प्राधिकारी को किसी निजी निकाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो यह आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (च) के चार कोनों के भीतर आएगा। यदि किसी निजी निकाय से जानकारी प्राप्त करने और प्रस्तुत करने के लिए कहने से पहले लोक प्राधिकारी द्वारा पूर्व शर्तों और प्रतिबंधों की प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है, तो ऐसी पूर्व शर्तों और प्रतिबंधों को पूरा करना होगा। लोक प्राधिकारी कानून/विधान के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है और निजी निकाय को जानकारी प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। तदनुसार, यदि किसी निजी निकाय को सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए किसी अधिनियम के तहत कोई प्रतिबंध, निषेध, वर्जन या पूर्व शर्त है, तो उक्त प्रतिबंध, निषेध, वर्जन या पूर्व शर्त लागू रहेगी और केवल शर्तों के पूरा होने पर ही लोक प्राधिकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा। किसी निजी निकाय से जानकारी मांगने के लिए लोक प्राधिकारी के अधिकार को संतुष्ट करना आवश्यक है।*

*17. याचिकाकर्ता स्कूल के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिक्षा निदेशालय के पास प्रबंधन समिति के कार्यवृत्त तक अभिगम नहीं है। डी.एस.ई. नियमावली के नियम 180 (i) के तहत, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को परिशिष्ट 2 के अनुसार विवरणी जमा करने की आवश्यकता होती है और दस्तावेज और प्रबंध समिति के कार्यवृत्त को परिशिष्ट 2*

*में शामिल नहीं किया जाता है। डी.एस.ई. नियमावली के नियम 180 (i) डी.एस.ई. नियमों में एकमात्र प्रावधान नहीं है जिसके तहत शिक्षा निदेशालय निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के अभिलेख तक पहुंच का हकदार है। डी.एस.ई. नियमावली के नियम 50 में निजी विद्यालय की मान्यता के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं और कहा गया है कि किसी भी निजी विद्यालय को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी या मान्यता जारी नहीं रखी जाएगी जब तक कि उक्त विद्यालय उक्त धारा में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है। डी.एस.ई. नियमावली के नियम 50 का खंड (xviii) इस प्रकार हैः—*

*"50. मान्यता के लिए शर्तें— किसी भी निजी स्कूल को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी, या मान्यता जारी रहेगी जब तक कि स्कूल निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है, अर्थात्—*

*(i)-(xvii) x x x x x x*

*(xviii) स्कूल अपेक्षित रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो निदेशक द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो और उपयुक्त प्राधिकारी या निदेशक के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करने या स्कूल के कामकाज में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जा सकते हैं।*

*18. डी.एस.ई. नियमावली के नियम 50 (xviii) के तहत, शिक्षा निदेशालय निर्देश जारी कर सकता है और संतुष्ट होने के लिए उसमें उल्लिखित शर्तों पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए स्कूल को बुला सकता है। इसलिए नियम 50 लोक प्राधिकारी को निजी निकाय यानी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल की जानकारी या रिकॉर्ड तक अभिगम के लिए अधिकृत करता है। डी.एस.ई. नियमावली के नियम 50 (xviii) की वैधता को मेरे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। डी.एस.ई. अधिनियम की धारा 5 के तहत, प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में एक प्रबंधन समिति होनी चाहिए। प्रबंधन समिति को नियमों के अनुसार और उपयुक्त प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ विद्यालय के प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। डी.एस.ई. नियमावली के नियम 59 (1) (ख) (फ) में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय प्रबंधन समिति के दो सदस्यों को नामित करेगा, जिनमें से एक शिक्षाविद् होगा और दूसरा शिक्षा निदेशालय का अधिकारी होगा। इस प्रकार शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी को प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाना है। प्रबंधन समिति के कार्यवृत्त परिचालित किए जाने चाहिए और शिक्षा निदेशालय के अधिकारी को भेजे जाने चाहिए। जाहिर है, शिक्षा निदेशालय के अधिकारी को एक बार परिचालित किए गए कार्यवृत्त को शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के*

*लिए सुलभ 'जानकारी' के रूप में माना जाएगा। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रबंधन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के रूप में जानकारी आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत नहीं आती है।*

31. उपरोक्त मामले में, पूर्णा प्रज्ञा पब्लिक स्कूल सी.आई.सी. द्वारा पारित आदेश से व्यथित था जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) को स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति आवेदक को प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (च) और 2 (ञ) की व्याख्या करते हुए अभिनिर्धारित किया कि दिल्ली शिक्षा स्कूल नियम, 1973 ने जी.एन.सी.टी.डी. को निर्देश जारी करने और विद्यालय को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बुलाने का अधिकार दिया है।

32. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लेखी ने तर्क दिया ***कि पूर्णा प्रज्ञा पब्लिक स्कूल बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य*** *(पूर्वोक्त),* मामले में स्कूल के संबंध में जानकारी दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के आधार पर जी.एन.सी.टी.डी. के पास उपलब्ध था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत जानकारी पर जी.एन.सी.टी.डी. का अधिक्षेत्र है।

33. उन्होंने आगे तर्क दिया है कि ***पूर्णा प्रज्ञा पब्लिक स्कूल बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य (पूर्वोक्त)*** मामले में इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत का उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल*** (*पूर्वोक्त*); ***केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य*** (*पूर्वोक्त*); और ***केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय***

***और अन्य*** (*पूर्वोक्त*), में पारित निर्णय से पहले घोषित किया गया था, अन्यथा भी कोई अच्छा कानून नहीं है।

34. माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (च) और 2 (ञ) की व्याख्या करते हुए कहा कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (ञ) में निर्दिष्ट "किसी भी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में" शब्द निजी निकाय से संबंधित जानकारी को अपने क्षेत्र और दायरे में शामिल करेंगे, जिसे किसी भी लोक प्राधिकारी द्वारा उस समय लागु किसी भी कानून के तहत अभिगम किया जा सकता है। हालाँकि, यह किसी भी शर्त और प्रतिबंधों के अधीन होगा जो संबद्ध समय पर लागू किसी भी अन्य अधिनियम या विनियमों के तहत जानकारी तक अभिगम के लिए लागू हो सकते हैं। इसलिए हम श्री लेखी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि ***पूर्णा प्रज्ञा पब्लिक स्कूल बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य*** (*पूर्वोक्त*), के मामले में फैसला अब अच्छा कानून नहीं है। वास्तव में, उक्त विचार को माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने स्वीकार कर लिया है।

35. जब तक लोक प्राधिकारी को किसी अन्य कानून के तहत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार और शक्ति है, तब तक यह आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2 (ञ) के संदर्भ में आवेदक के लिए सुलभ किसी भी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में जानकारी के अर्थ के भीतर आएगा।

36. हालाँकि, वर्तमान मामले में विचार करने वाला मुद्दा यह है कि क्या ट्राई को किसी अन्य कानून के तहत किसी निजी निकाय से जानकारी प्राप्त करने का कोई अधिकार या शक्ति है। यह तर्क दिया जाता है कि ट्राई अधिनियम की धारा 11 और 12 के संदर्भ में, ट्राई के पास अपने मामलों के संबंध में कोई भी जानकारी मांगने की शक्ति है। ट्राई अधिनियम की धारा 11 और 12 निम्नानुसार हैः

***"धारा 11.प्राधिकारी के कार्य।***

*(1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्राधिकारी के कार्य होंगे–*

*(क) निम्नलिखित मामलों पर या तो स्वत: संज्ञान से या लाइसेंसकर्ता के अनुरोध पर सिफारिशें करना, अर्थात्:--*

*(i) नए सेवा प्रदाता की प्रवेश के लिए आवश्यकता और समय;*

*(ii) सेवा प्रदाता को लाइसेंस के नियम और शर्तें;*

*(iii) लाइसेंस के नियमों और शर्तों का पालन न करने पर अनुज्ञप्ति को निरस्त करना;*

*(iv) दूरसंचार सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने और संचालन में दक्षता को बढ़ावा देने के उपाय करना ताकि ऐसी सेवाओं में वृद्धि को सुविधाजनक बनाया जा सके।*

*(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में तकनीकी सुधार;*

*(vi) नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के निरीक्षण के बाद सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार;*

*(vii) दूरसंचार प्रौद्योगिकी और सामान्य रूप से दूरसंचार उद्योग से संबंधित किसी भी अन्य मामले के विकास के लिए उपाय;*

*(viii) उपलब्ध स्पेक्ट्रम का कुशल प्रबंधन;*

*(ख) निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन, अर्थात्:–*

*(i) लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;*

*(ii) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारंभ से पहले दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर-संपर्क के नियम और शर्तें तय करें;*

*(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर-संबंध सुनिश्चित करना;*

*(iv) दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने से प्राप्त अपने राजस्व को साझा करने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था को विनियमित करना;*

*(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके;*

*(vi) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लंबी दूरी के परिपथ प्रदान करने के लिए समय अवधि निर्धारित करना और सुनिश्चित करना;*

*(vii) अन्तःसम्बद्ध समझौतों और ऐसे सभी अन्य मामलों की रजिस्टर बनाए रखें जो विनियमों में प्रदान किए जा सकते हैं;*

*(viii) खंड (vii) के तहत बनाए गए रजिस्टर को ऐसे शुल्क के भुगतान और ऐसी अन्य आवश्यकता के अनुपालन पर जनता के किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुला रखें जो विनियमों में प्रदान की जा सकती है;*

*(ix) सार्वभौमिक सेवा दायित्वों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना;*

*(ग) ऐसी दरों पर और ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क और अन्य शुल्क लगाना जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएं;*

*(घ) ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्यों को करना जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों:*

*बशर्ते कि इस उप-धारा के खंड (क) में निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी:*

*बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी सेवा प्रदाता को जारी किए जाने वाले नए लाइसेंस के संबंध में इस उप-धारा के खंड (क) के उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्राधिकारी से सिफारिशें मांगेगी और प्राधिकारी उस तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें भेजेगा जिस दिन सरकार ने सिफारिशें मांगी थीं:*

*बशर्ते कि प्राधिकारी केंद्र सरकार से ऐसी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है जो इस उप-धारा के खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत*

*सिफारिशें करने के उद्देश्य से आवश्यक हो और सरकार ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से सात दिनों की अवधि के भीतर ऐसी जानकारी प्रदान करेगी:*

*बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी सेवा प्रदाता को लाइसेंस जारी कर सकती है यदि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर प्राधिकारी से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं होती है जिस पर केंद्र सरकार और प्राधिकारी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है:*

*बशर्ते कि यह भी कि यदि केंद्र सरकार प्राधिकारी की उस अनुशंसा पर विचार करने के बाद, प्रथमदृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ऐसी अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है या इसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो वह अनुशंसा को पुनर्विचार के लिए प्राधिकारी को वापस भेजेगी, और प्राधिकारी, ऐसे संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेज सकता है। आगे की अनुशंसाएँ, यदि कोई हों, प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी।*

*(2) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्राधिकारी, समय-समय पर, आदेश द्वारा, आधिकारिक राजपत्र में उन दरों को अधिसूचित कर सकता है जिन पर भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं इस अधिनियम के तहत प्रदान की जाएंगी, जिसमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर भारत के बाहर किसी भी देश में संदेश प्रेषित किए जाएंगे:*

*बशर्ते कि प्राधिकारी समान दूरसंचार सेवाओं के लिए अलग-अलग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए अलग-अलग दरों को अधिसूचित कर सकता है और जहां अलग-अलग दरें निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकारी उसके कारणों को दर्ज करेगा।*

*(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकारी भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था शालीनता या नैतिकता के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा।*

*(4) प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।*

***12. प्राधिकारी की सूचना मांगने, जांच करने आदि की शक्तियाँ—***

*(1) जहां प्राधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है, वह लिखित आदेश द्वारा -*

*(क) किसी भी समय किसी भी सेवा प्रदाता से अपने मामलों से संबंधित ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है जिसकी प्राधिकारी को आवश्यकता हो; या*

*(ख) किसी भी सेवा प्रदाता के मामलों के संबंध में जांच करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करना; और*

*(ग) अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी सेवा प्रदाता की लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने का निर्देश देना।*

*(2) जहां किसी सेवा प्रदाता के मामलों के संबंध में कोई जांच उप-धारा (1) के तहत की गई है,—*

*(क) सरकारी विभाग का प्रत्येक अधिकारी, यदि ऐसा सेवा प्रदाता सरकार का एक विभाग है;*

*(ख) प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, यदि ऐसा सेवा प्रदाता एक कंपनी है; या*

*(ग) प्रत्येक भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, यदि ऐसा सेवा प्रदाता एक फर्म है; या*

*(घ) प्रत्येक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसने खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के साथ व्यवसाय के दौरान लेनदेन किया है,*

*वह जांच करने वाले प्राधिकारी के समक्ष, ऐसी जांच के विषय-वस्तु से संबंधित या उससे संबंधित अपनी अभिरक्षा या शक्ति में ऐसी सभी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य होगा, और प्राधिकारी को, जैसा भी मामला हो, उस समय के भीतर, जो भी निर्दिष्ट किया जाए, ऐसा कोई बयान या जानकारी प्रदान करने के लिए भी बाध्य होगा।*

*(3) प्रत्येक सेवा प्रदाता ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज बनाए रखेगा जो निर्धारित किए जाएं।*

*(4) प्राधिकारी के पास सेवा प्रदाताओं को ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी जो वह सेवा प्रदाताओं द्वारा उचित रूप से काम करने के लिए आवश्यक समझता है।"*

37. ट्राई अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों पर ध्यान देंना प्रासंगिक है। ट्राई की स्थापना राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के संदर्भ में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, जो अन्य बातों के अलावा सार्वभौमिक सेवा प्राप्त करने और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता को विश्व मानक के अनुरूप सुधारने के महत्व को रेखांकित करती है। ट्राई अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

*"1. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के संदर्भ में, जो अन्य बातों के अलावा, सार्वभौमिक सेवा प्राप्त करने, दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता को विश्व मानकों पर लाने, उचित मूल्य पर ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के प्रावधानों और बुनियादी के साथ-साथ मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में भारत में पंजीकृत कंपनियों की भागीदारी के साथ-साथ उपभोक्ता हित की सुरक्षा और संवर्धन की व्यवस्था करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने पर जोर देती है, नियामक कार्यों को सेवा प्रदान करने वाले कार्यों से अलग करने की आवश्यकता महसूस की गई है जो दुनिया में सामान्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए होंगे। बुनियादी के साथ-साथ मूल्य वर्धित सेवाओं को खोलने से उत्पन्न बहु-प्रचालक स्थिति में, जिसमें निजी प्रचालक सरकारी प्रचालक के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, उपभोक्ता हित की सुरक्षा के अलावा दूरसंचार बुनियादी ढांचे के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास के लिए दूरसंचार सेवाओं के विनियमन के लिए एक स्वतंत्र दूरसंचार नियामक निकाय की आवश्यकता है।*

*2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में एक स्वतंत्र दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था और उस उद्देश्य के लिए भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1995 पेश किया गया था और 6 अगस्त, 1995 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। राजसभा में उपरोक्त विधेयक पर विचार करते समय, राज्य सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और संचार पर स्थायी समिति के विचारों को ध्यान में रखते हुए, जिसने आशा व्यक्त की थी कि एक*

*सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएंगे, एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव है।*

38. ट्राई अधिनियम की धारा 11 प्राधिकरण के कार्यों को बताती है। प्राधिकरण को जिन कार्यों का निर्वहन करने के लिए सौंपा गया है, उनमें से एक लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। ट्राई अधिनियम की धारा 12 प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करती है जहां वह ऐसा करना समीचीन समझता है, किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता से अपने मामलों से संबंधित ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहता है जिसकी प्राधिकरण को आवश्यकता हो। ट्राई अधिनियम की धारा 11 और 12 में उल्लिखित शक्तियां और कार्य व्यापक हैं और पहली नजर में ऐसा लगता है कि इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रत्येक मामले को शामिल किया गया है। हालाँकि, इसे अधिनियम के उद्देश्यों के कथन को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए, और एक अर्थ दिया जाना चाहिए जो निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करता है।

39. प्रत्यर्थी सं.1 ने वर्तमान मामले में, इस बारे में जानकारी मांगी थी कि क्या उनके फोन को किसी एजेंसी द्वारा निगरानी या ट्रैकिंग या टैपिंग के तहत रखा गया था और यदि ऐसा किया गया है, तो किसके निर्देश पर और किस एजेंसी द्वारा किया गया है। हमारी राय में, मांगी गई जानकारी ट्राई अधिनियम की धारा 11 में उल्लिखित ट्राई के कार्यों से संबंधित नहीं है। इन्टरसेप्शन/निगरानी के लिए कोई भी कार्रवाई भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) और भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419 (क) के संदर्भ में की जाती है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) संबंधित सरकार को निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने की स्थिति में ऐसी कार्रवाई का निर्देश देने का अधिकार देती है।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) और भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419 (क) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

***"धारा 5 (2)***

***"5. सरकार को लाइसेंस प्राप्त तारों को अपने कब्जे में लेने और संदेशों को इन्टरसेप्शन का आदेश देने की शक्ति।—***

*XXXX XXXX XXXX*

*(2) किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अधिकारी, यदि संतुष्ट हो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या किसी अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या उनसे, या किसी विशेष विषय से संबंधित संदेशों का कोई संदेश या वर्ग, जो किसी तार द्वारा संचारित या प्रेषित या प्राप्त किए जाने के लिए लाया गया है, उसे प्रसारित नहीं किया जाएगा, या इन्टरसेप्ट या रोका जाएगा, या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में उल्लिखित उसके किसी अधिकारी को बताया जाएगा:*

*बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशित होने के इरादे वाले प्रेस संदेशों को तब तक इन्टरसेप्ट या रोका नहीं जाएगा, जब तक कि इस उप-धारा के तहत उनका प्रसारण प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।"*

***नियम 419क (5)***

*"419क.(5) निर्देश में उस अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदनाम निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे इंटरसेप्ट किए गए संदेश या संदेशों के वर्ग का खुलासा किया जाना है और यह भी निर्दिष्ट करेंगे कि इंटरसेप्ट किए गए संदेश या संदेशों के वर्ग का उपयोग उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन होगा।*

40. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निगरानी या ट्रैकिंग या टैपिंग का कोई भी ऐसा कार्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मामलों के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि संबंधित सरकार के निर्देशों के तहत की जाती है, यदि अधिकृत अधिकारी संतुष्ट है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, या किसी अपराध के उकसावे को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय है। यहां ट्राई अधिनियम की धारा 11(3) का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि उप-धारा (1) और (2) के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, प्राधिकारी भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित के खिलाफ कार्य नहीं करेगा।

41. ट्राई अधिनियम की धारा 11 ट्राई द्वारा किए जाने वाले कार्यों को परिभाषित करती है। कार्यों के केवल अवलोकन से ही, यह स्पष्ट है कि ये ट्राई अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के संदर्भ में हैं। ट्राई अधिनियम की धारा 11 (1) (ख) (झ) में हालांकि उल्लेख किया गया है कि निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में से एक लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना है, हमारी राय में इसे व्यापक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई को शामिल किया जा सके। इसे ट्राई अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप एक अर्थ दिया जाना चाहिए।

42. ट्राई अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में, प्राधिकारी किसी भी जानकारी की मांग कर सकता है और मामलों से संबंधित जांच कर सकता है, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझता है। ***होटल सी गल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य*** : (2002) 4 एससीसी 1

में माननीय उच्चतम न्यायालय "समीचीन" अभिव्यक्ति की व्याख्या की और अभिनिर्धारित किया कि "समीचीन" शब्द में निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी कारण से उपयुक्त और उचित कुछ भी शामिल होगा।

43. यह मानना कि फोन को इंटरसेप्शन या ट्रैकिंग या टैपिंग के संबंध में जानकारी मांगना ट्राई अधिनियम की धारा 12 के तहत ट्राई की शक्ति के भीतर होगा, ट्राई अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट कार्यों के अनुरूप नहीं होगा। कोई भी विपरीत दृष्टिकोण प्राधिकरण को सूचना मांगने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के कार्यों में हस्तक्षेप करने की बेलगाम शक्ति देगा, और यह ट्राई अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुरूप भी नहीं होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूरसंचार क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और इस क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।

44. एक अन्य पहलू, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लेखी ने ठीक ही बताया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) के तहत संबंधित सरकार द्वारा आदेश पर फोन का इंटरसेप्शन या ट्रैकिंग या टैपिंग करने के संबंध में कोई भी जानकारी आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 के तहत छूट प्राप्त कर सकती है। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (क) और खंड 8 (1) (ज) निम्नानुसार हैः

***"धारा 8.सूचना के प्रकटीकरण से छूट।***

*(1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी नागरिक को देने का कोई दायित्व नहीं होगा,–*

*(क) ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य के सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा या किसी अपराध को उकसाने का कारण बनेगा;*

*(ज) ऐसी जानकारी जो अपराधियों की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करे।*

45. फोन को इंटरसेप्शन या ट्रैकिंग या टैपिंग करने के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा पारित कोई भी आदेश तब पारित किया जाता है जब अधिकृत अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध को उकसाने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय है। इसलिए, इस तरह का आदेश अपनी प्रकृति से जांच की प्रक्रिया में पारित किया गया होगा। किसी दिए गए मामले में, ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा, इसलिए, जांच की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, और भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, राज्य के रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है या किसी अपराध को उकसाने का कारण बन सकता है, और इसलिए इसे आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट दी जाएगी।

46. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है और रि.या. (सि.) 12388/2018 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है।

47. सभी लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है।

**अमित महाजनन्या.**

**विभूबखरु, न्या.**

**22 दिसंबर, 2023**
*केडीके/एसके/यूजी/एसएसएच*

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*